UPBB010067382022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3298/2022

सन्तोष उर्फ अंकित वर्मा आयु लगभग 27 वर्ष पुत्र श्रीधर वर्मा, निवासी ग्राम मीन नगर, थाना दरियाबाद, जिला बाराबंकी।

.................आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....विपक्षी।

अ0सं0–353/2022
धारा–379,411 भा0द0सं0
थाना–दरियाबाद, बाराबंकी।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त सन्तोष उर्फ अंकित वर्मा की ओर से अपराध संख्या 353/2022, अन्तर्गत धारा 379,411 भा0द0सं0, थाना दरियाबाद, जिला बाराबंकी में संस्थित किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राम प्रकाश द्वारा थाना दरियाबाद में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 23.09.2022 को समय 6.00 बजे सुबह उसे सूचना मिली कि प्राथमिक विद्यालय जटहा के मेनगेट व कार्यालय तथा अन्य कक्षा का ताला तोड़कर चोरी करके ले जाते समय ग्रामीणों ने मौके पर एक चोर को चोरी के सामान सहित पकड़ लिया है। पकड़े गये चोर ने अपना नाम सन्तोष उर्फ अंकित वर्मा बताया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त के पास से कोई नाजायज वस्तु बरामद नहीं हुई है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त द्वारा को चोरी नहीं की गयी है। अभियुक्त को घर से पकड़कर उसका चालान करा दिया गया है। अभियुक्त दिनांक 30.09.2022 से जेल में निरूद्ध है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा

परीक्षणीय है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को प्राथमिक विद्यालय जटहा के मेनगेट व कार्यालय तथा अन्य कक्षा का ताला तोड़कर चोरी करके ले जाते समय ग्रामीणों द्वारा सामान सहित पकड़ा गया है। अपराध गम्भीर किस्म का है।

अभियोजन प्रपत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि घटना की प्राथमिकी वादी मुकदमा द्वारा थाना दरियाबाद में दिनांक 23.09.2022 दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त को को प्राथमिक विद्यालय जटहा के मेनगेट व कार्यालय तथा अन्य कक्षा का ताला तोड़कर चोरी करके ले जाते समय ग्रामीणों द्वारा सामान सहित पकड़ा जाना बताया गया है। अभियुक्त दिनांक 30.09.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त सन्तोष उर्फ अंकित वर्मा द्वारा अपराध संख्या 353/2022, अन्तर्गत धारा 379,411 भा0द0सं0, थाना दरियाबाद, जिला बाराबंकी प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये) के दो प्रतिभू एवं उसी धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि अनुसार दाखिल करने तथा निम्नलिखित आशय की अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाय–

1– अभियुक्त अपराध के विचारण में सक्रिय सहयोग करेगा।

2– अभियुक्त किसी भी प्रकार से साक्षीगण को न तो प्रभावित करेगा और न ही अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।

3– अभियुक्त न्यायालय द्वारा यथानिर्दिष्ट व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

(आनन्द कुमार)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।
JO Code UP 5938

दिनांक 19.10.2022